Class - B.A-2 (Honours, Pol. science)
Paper - 3

Topic - राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त (DPSP)

Lecture - 2

Page No. Date

Name of the Guest Teacher - Khushbu kumari, dept. of Pol. science, V.S.J. College, Rajnagar, Madhubani, Lnmu

राज्य के नीति - निर्देशक सिद्धांत में प्रमुख संशोधन :-

संविधान के 42 वें संशोधन, 1976 के द्वारा निर्देशक सिद्धांत में संशोधन करके अनुच्छेद 39 (क), 43 (क), 48 (क) जोड़े गये।

44 वें संविधान संशोधन, 1976 के द्वारा एक नया निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 38 उपधारा (2) में जोड़ा गया। इसके अनुसार राज्य विशेष रूप में आय में असमानताओं को कम करेगा और स्तरों, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करेगा, केवल व्यक्तियों में ही नहीं बल्कि लोगों के समूहों जो अलग - अलग व्यवसायों में लगे हुये या अलग - अलग क्षेत्रों में रहते हैं, में भी असमानताओं को कम करेगा।

* संविधान के अनुच्छेद 37 के द्वारा वर्णन किया गया है कि भाग IV में दर्ज सिद्धांतों को किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, परन्तु इसमें दिये सिद्धान्त देश के राज्य - प्रबन्ध में मौलिक महत्व रखते हैं और यह राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून निर्माण के द्वारा इन सिद्धान्तों को लागू करे।

* अनुच्छेद 36 में लिखा गया है कि अनुच्छेद 12 के समान इस भाग के संदर्भ में भी राज्य का यही अर्थ है - सरकार और भारत की संसद तथा कार्यपालिका और प्रत्येक राज्य की विधानपालिका एवं सभी स्थानीय या दूसरे अधिकारी जो भारतीय क्षेत्र में हैं या भारत सरकार के

Scanned with CamScanner

नियंत्रण अधीन है।

निर्देशक सिद्धांतों को लागू किया जाना :-

(1) जमींदारी की समाप्ति और भूमि सुधार —

ग्रामीण क्षेत्र में भूमि के स्वामित्व के केन्द्रीकरण को दूर करने के लिये जमींदारी समाप्ति कानून लागू किये गये हैं। जमींदारी समाप्ति कानूनों को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करके और इनको न्यायिक पुनर्निरीक्षण (अनुच्छेद 31 B) के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करके अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गयी है।

(2) पंचायतों का पुनर्संगठन — 73 वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और 74 वें संशोधन के द्वारा नगरपालिका संस्थाओं का पुनर्गठन किया गया है। इनके कार्यकाल को निश्चित किया गया है और इनको आगे से अधिक वित्तीय और गैर-वित्तीय शक्तियां सौंपी गई हैं।

Scanned with CamScanner

(3.) समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों की सुरक्षा — निर्देशक सिद्धांत के अनुसार राज्य ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों तथा कमज़ोर वर्गों के लिये शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की है। इसके अतिरिक्त इन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान की है।

(4.) औरतों और बच्चों की सुरक्षा — राज्य ने महिलाओं और बच्चों को शोषण से बचाने के लिये कई कानून बनाये हैं। उदाहरण के लिये, 1961 का दहेज निषेध कानून, 1956 का एस. आई. टी. ए. कानून जिसके अनुसार औरतों के अनैतिक खरीद-बेच को समाप्त किया गया, 1983 का फौजदारी कानून संशोधन एक्ट जिसमें बलात्कार के मामले में कम-से-कम सात वर्ष की सजा देने का प्रावधान है, 1986 का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) एक्ट जिसमें फोटो, विज्ञापन और फिल्मों में औरतों की बुरी तस्वीर प्रस्तुत करने की मनाही की गई है, 1987 का सती निवारक एक्ट। इसके अतिरिक्त समान कार्य के लिये समान वेतन की व्यवस्था की गई है तथा औद्योगिक एक्ट के द्वारा राज्य ने बच्चों को मजदूरी पर लगाना अपराध घोषित किया है।

(5.) श्रमिक कल्याण कानून — श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिये फैक्ट्रीज एक्ट 1948, खदान एक्ट 1952, प्लांटेशन एक्ट 1951, प्रसूति लाभ एक्ट 1961 बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारिता की प्राप्ति की गई है।

Scanned with CamScanner

(6) छोटे और घरेलू उद्योगों को सहायता — राज्य छोटे स्तर के उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये कई बोर्ड स्थापित किये हैं — अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड, लघु स्तरीय उद्योग बोर्ड, रेशम बोर्ड, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, नारियल रेशा बोर्ड इत्यादि। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उद्योगों को शुरू करने में प्रोत्साहन देने के लिये स्टार्टअप अप प्रोग्राम की शुरुआत की गई है।

(7) कृषि और पशुपालन का विकास — राज्य ने कृषि और पशुपालन के विकास के लिये कृषि विश्वविद्यालय, डेयरी खोज केन्द्र, सहकारी दुध संयंत्र, कृषि-उद्योग, खाद संयंत्र आदि को स्थापित किया है। राज्य किसानों के लिये जैसे को एक लाभकारी उद्यम बनाने का प्रयास करता रहा है।

(8) मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा — कई राज्यों ने समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित बच्चों के लिये मुफ्त शिक्षा व्यवस्था लागू की है। 86वें संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिये शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है।

(9) धन-सधन के अन्तर को कम करने के लिये कदम — समुचित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP), स्व-रोजगार कार्यक्रम (SEP) के द्वारा ग्रामीण लोगों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास किया गया है।

Scanned with CamScanner

(10) बंधुआ मजदूरी की समाप्ति (Bonded Labour) — बेगार और बंधुआ मजदूरी को कानून के द्वारा समाप्त किया गया है।

(11) नशाबंदी लागू करना (Intoxicants) — राज्य ने नशाबंदी लागू करने के लिये कई कदम उठाये हैं। परंतु ये सभी असफल रही हैं। ऐसा माना जाता है कि कानूनी रूप में नशाबंदी करने के स्थान पर उचित शिक्षा के द्वारा शराब पीने नशाखोरी के विरुद्ध जागरूकता फैलाना चाहिये।

(12) राष्ट्रीयकरण — उद्योगों को नियंत्रित करने के लिये राज्य ने 1947-91 के दौरान बैंकों, जीवन बीमा और साधारण बीमा व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण किया। परंतु 1991 के नई आर्थिक नीति के अधीन अब निजीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है।

(13) नियोजन — राज्य पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा तेज औद्योगीकरण, तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। योजना आयोग के स्थान पर अब 2014 से नीति आयोग की स्थापना की गई है।

(14) कानूनी सुधार — राज्य ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की व्यवस्था की है तथा कानून आयोग, लोक अदालत, सार्वजनिक हित मुकदमा व्यवस्था, Fast Track Courts की स्थापना की गई है।

(15) पंचशील और गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति —

Scanned with CamScanner

अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत सरकार ने हमेशा सभी राज्यों से शांतिपूर्ण ढंग से विवादों का निपटारा करने का प्रयास किया है तथा मित्रता और सहयोग का परिचय दिया है।

(16) वयस्क शिक्षा, स्त्री शिक्षा तथा पुरुष-स्त्री में समानता –

कानून के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि स्त्रियां भी अब माता-पिता की सम्पत्ति की प्राप्ति की अधिकारी हैं। पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरपालिकाओं में स्त्रियों के लिये 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था अपनाई गई है। वयस्क शिक्षा का अभियान चलाया जा रहा है।

आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Evaluation)

बहुत से आलोचक निर्देशक सिद्धांतों की अनेक आधारों पर आलोचना करते हैं। के. टी. शाह इसकी तुलना अपनी सुविधा के लिये बैंक के द्वारा अदायगी योग्य चेक से करते हैं।

Main Points of Criticism –

(1) आलोचकों के अनुसार निर्देशक सिद्धांतों का पालन न करने या उल्लंघन करने को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अतः इसका कोई महत्व नहीं है।
एम. अनंत नारायण के शब्दों में, "गैर-न्याययोग्य और काल्पनिक निर्देशक सिद्धांत, जो विधानकारों के द्वारा आसानी से उपेक्षित किये जा सकते हैं, लिखित संविधान की सच्ची प्रतिष्ठा को नहीं बढ़ाते।"

(2) इनकी प्राप्ति विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करती है। इसीलिए के. टी. शाह ने कहा है, "यह एक ऐसा चेक है जोकि बैंक द्वारा अपनी सुविधा पर कैश किया जा सकता है।"

(3) श्री निवासन के शब्दों में, "यह निर्देशन न तो उचित ढंग से वर्गीकृत किये गये हैं, न ही तर्कपूर्ण ढंग से लिखे गये हैं। इनका वर्णन व्यवस्थित रूप में नहीं किया गया।"

(4) श्री निवासन के अनुसार, "राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बनाना कठिन से प्रश्नाधायक समझा जा सकता है। यह अस्पष्ट और बार-बार दोहराये गये हैं।"

(5) आलोचकों के अनुसार राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में कई प्रतिक्रियावादी हैं। "यह (भाग IV) आधुनिक को प्राचीन से बेमेल जोड़ने का प्रयास करते हैं।" — श्री निवासन

(6) कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो अव्यवहारिक हैं और जिनको पूर्णरूप से वास्तविक जीवन में लागू नहीं किया जा सकता है जैसे — मद्यनिषेध।

(7) आलोचकों के अनुसार कई निर्देशक सिद्धांत पुराने और विदेशी दार्शनिक आधार पर निर्भर है जिसका समकालीन समय में कोई महत्व नहीं है।

(8) आलोचकों के अनुसार निर्देशक सिद्धांत संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों को ही पुनः दोहराते हैं। अतः इनको संविधान में शामिल किया जाना अनावश्यक है।

(9) आलोचकों के अनुसार निर्देशक सिद्धांत के आधार पर

Scanned with CamScanner

सरकार सिर्फ कुछ कार्य करती है।

(10) बी. एन. राव के अनुसार, "संविधान में नैतिक सिद्धांतों के लिये स्थान नहीं है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है। कोई भी वस्तु जिसमें कानूनी स्तर की कमी है, यह चाहे कितना भी शक्तिशाली और शानदार क्यों न हो, उसके लिये संविधान में कोई स्थान नहीं है।"

Justification of Directive Principles Or Significance (महत्व) of Part IV

(1.) यह सत्य है कि निर्देशक सिद्धांत न्याययोग्य नहीं हैं और इनके पीछे कानूनी मान्यताएँ नहीं हैं, परन्तु इनके पीछे जनमत की शक्ति है। एम. वी. पायली कहते हैं, "यह राष्ट्रीय चेतना के मापदंड हैं और जो इनको तोड़ेगा उनको अपनी उत्तरदायित्वपूर्ण स्थिति को छोड़ने का भय पैदा हो जाएगा।"

(2) निर्देशक सिद्धांत स्पष्ट रूप में कल्याणकारी राज्य के दार्शनिक आधारों को निर्धारित करते हैं।

(3) निर्देशक सिद्धांत राज्य की नैतिक संहिता है, यह राज्य के कार्यों को दिशा-निर्देश प्रदान करती है।

(4) निर्देशक सिद्धांत सरकार की नीतियों में निरन्तरता का एक स्रोत है।

(5) निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार के पूरक हैं। यह राज्य को दिये गये सकारात्मक निर्देश हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के सामाजिक-आर्थिक पहलू को प्राप्त करने के लिये लिखे गये हैं। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की पूर्ति के लिये बनाये गये हैं।

(6) राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत एक मापदण्ड है, जिससे

लोग सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं।

(7) निदेशक सिद्धांत देश के लक्ष्यों और उद्देश्यों का घोषणा-पत्र है। यह संविधान के दर्शन को प्रकट करते हैं तथा संविधान की व्याख्या के कार्य में, न्यायालयों की सहायता प्रदान करते हैं।

(8) निदेशक सिद्धांतों का शैक्षिक मूल्य है। यह ऐसे कल्याणकारी राज्य की व्यापक रूप-रेखा प्रकट करते हैं जो हम अपने देश में बनाना चाहते हैं। एम. वी. पायली के शब्दों में, "यह आने वाले भारतीय नौजवान-पीढ़ी के मनों और विचारों में स्थिर राजनीतिक प्रणाली और शक्तिशाली प्रणाली के मौलिक मूल्य भरते हैं।"

Conclusion —

"निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से अधिक मौलिक हैं क्योंकि उनमें दर्शाये आदर्श संकल्प में ऊंचे हैं और मौलिक अधिकारों से अधिक व्यक्ति के लिये स्पष्ट लाभों की सुरक्षा का प्रयास करते हैं।" — डा. के. सी. मारकंडन

निदेशक सिद्धांत लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य प्रबन्ध के रूप में भारतीय राज्य प्रबन्ध के लिये आवश्यक और दृढ़ नींव प्रदान करते हैं। इसकी पूर्ति ही हमारी लोकतंत्रीय प्रणाली को संपूर्ण कर सकती है, लोगों के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताओं को पूरक बना सकती है और एक ऐसे राज्य का स्थापित कर सकती है जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की विशेषताएं हों।

Scanned with CamScanner

classmate
Date :
Page :

भारत के लोगों और सभी संस्थाओं ने इस विचार को रद्द कर दिया है कि, "निदेशक सिद्धांत भावनाओं का परिवर्तनशील कूड़ादान है।" (टी. टी. कृष्णामाचारी) या "ऊंची आवाज करने वाली पवित्र घोषणा है।"

"यदि हम इन सभी सिद्धांतों को प्राप्त कर लें तो हमारा देश धरती पर एक स्वर्ग बन सकता है और भारत एक राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ एक सच्चा ~~लोक~~ कल्याणकारी राज्य बन सकता है।"

एम. सी. छागला